

1762
सम,
आद
म

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित

2	3
<p>अभिलेख उपस्थापित।</p> <p>3 सुनिता देवी पति पप्पु राम, निवास स्थान ग्राम-पुन्दरी, पोस्ट-मेरु कैम्प, थाना-मुफ्फसिल, जिला-हजारीबाग द्वारा छोटानामपुर कास्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा-46 के अन्तर्गत अंचल-सदर हजारीबाग, मौजा-पुन्दरी, थाना संख्या-187, खाता संख्या-09, प्लॉट संख्या-511 रकवा 0.04 एकड़ (04 डिसिमिल) (चार डिसिमिल) भूमि मीना देवी पति बिरु राम, निवास स्थान ग्राम-पुन्दरी, पोस्ट-मेरु कैम्प, थाना-मुफ्फसिल, जिला-हजारीबाग के साथ भूमि बिक्री करने हेतु आवेदक एवं प्रस्तावित क्रेता का जाति, आवासीय प्रमाण-पत्र एवं भूमि संबंधी कागजात की छायाप्रति संलग्न करते हुए आवेदन समर्पित किया गया है। प्राप्त आवेदन के आलोक में परमिशन वाद संख्या-411/2023 प्रारम्भ कर कार्यालय पत्रांक 2224/रा0 दिनांक 28.06.2023 द्वारा अंचल अधिकारी, सदर को आम इस्तेहार का तामिला प्रतिवेदन एवं जाँच प्रतिवेदन विहित प्रपत्र में उपलब्ध कराने हेतु निदेशित किया गया।</p> <p>अंचल अधिकारी, सदर हजारीबाग के पत्रांक 1762 दिनांक 05.09.2023 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन, आम इस्तेहार का तामिला प्रतिवेदन एवं चेक स्लीप उपलब्ध कराया गया है। आम इस्तेहार में किसी भी व्यक्ति द्वारा आपत्ति दर्ज नहीं किया गया है। अंचल अधिकारी, सदर हजारीबाग द्वारा जाँच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया गया है कि -</p> <p>क्रेता एवं विक्रेता अनुसूचित जाति के अन्तर्गत है एवं हजारीबाग जिला के निवासी हैं। आवेदित भूमि आवेदिका को खरीदगी केवाला संख्या 1571 दिनांक 15.03.2016 से हासिल है। भूमि रैयती खाते की है, जिसका किरम टॉड-111 दर्ज है। खतियान गिरधारी सिंह के नाम से दर्ज है। मौजा-पुन्दरी थाना संख्या-187 खाता संख्या-09 प्लॉट संख्या-511 रकवा 0.08 एकड़ भूमि पंजी-11 के पृष्ठ संख्या 1/3 पर सुनीता देवी पति पप्पु राम के नाम से जमाबंदी दर्ज है। लगान वर्ष 2018-19 तक निर्गत है। आवेदिका के नाम खरीदगी केवाला से हासिल है। आवेदिका द्वारा धारित कुल रकवा 0.08 एकड़ भूमि है। बिक्री की अनुमति मिलने के पश्चात् रकवा 0.04 एकड़ भूमि बचती है। विक्रेता को भूमि बिक्री करने का अधिकार है। प्रस्तावित भूमि भूदान/भू-अधिग्रहण क्षेत्र/प्रतिबंधित सूची/वन भूमि/सरकारी भूमि के अन्तर्गत नहीं है। साथ ही BLR Act Section 4h से मुक्त है। प्रस्तावित भूमि आवेदिका के दखल कब्जा में है।</p> <p>प्रश्नगत भूमि का ट्रेस नक्शा प्राप्त है, जिसमें आवेदित भूमि को लाल रंग से दर्शाया गया है एवं नक्शा में</p>	

देश की क्रम संख्या और तारीख

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आदेश प कार्रवाई के दिप्पनी तार

प्रस्तावित भूमि का चौहद्दी भी अंकित किया गया है। वर्ष 2023-24 तक निर्गत लगान रसीद की प्रति प्राप्त है। अंचल अधिकारी, सदर हजारीबाग द्वारा विक्रेता को छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा-46 के तहत प्रश्नगत भूमि की बिक्री करने की अनुमति हेतु अनुशंसा की गयी है।

उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में अंचल अधिकारी, सदर हजारीबाग के अनुशंसा के आलोक में सुनिता देवी पति पप्पु राम, निवास स्थान ग्राम-पुन्दरी, पोस्ट-मेरु कैम्प, थाना-मुफसिल, जिला-हजारीबाग द्वारा छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा-46 के अन्तर्गत अंचल-सदर हजारीबाग, मौजा-पुन्दरी, थाना संख्या-187, खाता संख्या-09, प्लॉट संख्या-511 रकवा 0.04 एकड़ (04 डिसमिल) (चार डिसमिल) भूमि मीना देवी पति बिरु राम, निवास स्थान ग्राम-पुन्दरी, पोस्ट-मेरु कैम्प, थाना-मुफसिल, जिला-हजारीबाग के साथ भूमि बिक्री हेतु अनुमति प्रदान की जाती है। साथ ही अभिलेख की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित

अपर समाहर्ता, हजारीबाग

अपर समाहर्ता, हजारीबाग